छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

गांधी भवन केयूर भूषण स्मृति परिसर पुरानी बस्ती कंकाली पारा रायपुर, दूरभाष क्र. 0771–2282846, 2436707, 2442929 फैक्स 0771–2436707, 2442929 ईमेल– hocgkvib@rediffmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी

धारा 4 (1) बी

(i) छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक–344/116/ ग्रामोद्योग/2001, रायपुर दिनांक 20.07.2001 द्वारा किया गया। इस आदेश के तहत् मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त खादी तथा ग्रामोद्योग के सभी विधि एवं विधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत किये गये तथा नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से ही सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होना माना गया।

बोर्ड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भवना को प्रोत्साहित कर, शोषण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना का व्यापक उद्देश्य है।

इस व्यापक उद्देश्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :– खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी को प्रोत्साहित करना। खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए संयंत्र, मशीनें और उपकरणों को प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति।

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग के सतत् विकास हेतु बोर्ड द्वारा निम्नानुसार कार्य संपादित किये जा रहे हैः–

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के सेक्टर के कार्यो का नियोजन एवं उन्नयन करना।
2. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की विक्रय योग्य वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करना।
3. औजारों, उपकरणों एवं कच्चेमाल की व्यवस्था करना।
4. खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना। खादी तथा के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना।
6. खादी तथा ग्रमोद्योग के विकासात्मक कार्यो का कियान्वयन करना, जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कर व्यक्तियों, संस्थाओं को वितरित करना।

(ii) बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी हैः–

1. प्रबंध संचालक
2. संयुक्त संचालक
3. संयुक्त संचालक (वित्त)
4. उपसंचालक
5. सहायक संचालक

(iii) बोर्ड की गतिविधियों के नियोजन, पर्यवेक्षण, नियोजन तथा दायित्वों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार प्राधिकारी निकाय प्रावधानित है।

1. संचालक मंडल

(iv) बोर्ड अधिनियम, अध्यादेश एवं विनियम में निर्दिष्ट किये गये उल्लेख के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी कार्यो का निष्पादन करते है।

(v) बोर्ड द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये अधिनियम क्रमांक 01 से क्रमांक 30 तक लागू है। जो कार्यालय में उपलब्ध है।

(vi) अभी तक इस बोर्ड में स्थापित विभागों का विवरण जिनके नियंत्रण में दस्तावेजों को रखा जाना निहित किया गया है, निम्नानुसार हैः–

क्र.	विभाग	कार्य
1.	स्थापना एवं विधि	बोर्ड स्थापना नियुक्तियॉ, न्यायालयीन प्रकरण संबंधित दस्तावेज
2.	विकास	बोर्ड की योजनाओ से संबंधित दस्तावेज
3.	खादी–विपणन	खादी उत्पादन एवं विक्रय संबंधित दस्तावेज
4.	सामान्य	बोर्ड की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रखरखाव एवं वितरण,भंडार सामग्री का क्रय
5.	लेखा	वित्तीय प्रबंधन, कैश बुक, व्हाउचर तथा बजट

(vii) बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार जनप्रतिनिधि के रूप में पदस्थ हैः–

1. श्री गुरू रूद्र कुमार, मान. अध्यक्ष

(vii) बोर्ड के संचालक मंडल में अधिनियम के प्रावधानानुसार सदस्य शासन द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है। संचालक मंडल के कार्यवाही विवरण नियमानुसार अवलोकन हेतु उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(ix) सूची संलग्न है। (संलग्नक 4)

(x) छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार।

(xi) विभिन्न मदों पर प्रस्तावित व्यय का विवरण बजट वर्ष 2020–21 में दिया गया है जो बोर्ड के लेखा कक्ष के पास उपलब्ध है।

(xii) बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम 35% अनुदान ग्रामोद्योग इकाई स्थापना हेतु DBT के माध्यम से प्रदाय किया जाता है।

(xiii) बोर्ड की जानकारी निरंक।

(xiv) बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध नही है।

(xv) सूचनाएं प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौराः–

1. सूचना पटल 2. सार्वजनिक घोषणा

(xvi) लोक सूचना अधिकारी के नामः–

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्रीमति चंद्रप्रभा सोनवानी (प्रथम अपीलीय अधिकारी)	संयुक्त संचालक (वित्त)
2.	श्रीमति हेमलता दीक्षीत (जनसूचना अधिकारी)	सहायक संचालक

(xvii) बोर्ड की जानकारी निरंक।

संयुक्त संचालक
छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
रायपुर, छत्तीसगढ़